भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 492

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

सड़क निर्माण की गुणवत्ता

492. श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्री लुम्बा रामः

श्री दिलीप शइकीया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में वर्ष 2014 से अब तक निर्मित / निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है;

(ख) वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-24 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) देश में छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और पूर्वोत्तर राज्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार राजस्थान में जालौर और सिरोही जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2024 तक लगभग 1,01,900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का निर्माण/विकास किया गया है।

(ख) 2004-2014 की तुलना में 2014-2024 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के औसत वार्षिक निर्माण में लगभग 130% की वृद्धि हुई है।

(ग) वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 32,366 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 1,366 परियोजनाएं छत्तीसगढ़, राजस्थान और सभी पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में निर्माणाधीन (नियत/शुरू की गई) हैं, जो परियोजना की पूर्णता के विभिन्न चरणों में है और इसमें समाप्ति/पूर्व समापन के लिए विचाराधीन परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2028 तक अलग-अलग चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) और (ड.) राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य, सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों और विभिन्न भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड, दिशा-निर्देशों और विशेष प्रकाशनों में निर्दिष्ट गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों सहित निर्धारित मानकों के अनुसार किए जाते हैं। ऐसे विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन करते हुए कार्यों को निष्पादित करना ठेकेदार/रियायतग्राही की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

परियोजना चक्र के सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार और उन्नयन परियोजनाओं के डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजाइन सुरक्षा मानकों को पूरा करे। निर्माण चरण के दौरान, यातायात के सुरक्षित आवागमन के लिए निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। निर्माण चरण के दौरान, यातायात की सुरक्षित आवाजाही के लिए निर्माण क्षेत्र सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं। संचालन चरण के दौरान समय-समय पर सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल रूप से प्रदान किए गए सड़क सुरक्षा उपाय उचित स्थिति में हैं और सुरक्षा उपायों की अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई हो, का आकलन किया जा सके।

ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार कार्य निष्पादित किए जाते हैं,यह सुनिश्चित करने के लिए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/इसकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा परामर्शदाता (प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता) को नियुक्त किया जाता है। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी यादृच्छिक आधार पर कार्यों की गुणवत्ता जांच भी करते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों में, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा इसकी निष्पादन एजेंसियां तीसरे पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त करती हैं। ऐसी जांच/निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों, यदि कोई हो, को आवश्यक सुधार/पुनर्निर्माण/प्रतिस्थापन के लिए रियायतग्राही/ठेकेदार के ध्यान में लाया जाता है।

उपरोक्त प्रक्रियाएं छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों पर लागू होती हैं।

(च) राजस्थान राज्य में जालौर और सिरोही जिलों के मुख्यालय मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (रारा-325 और रारा-62) से जुड़े हुए हैं।

*****